



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052023-245781  
CG-DL-E-10052023-245781

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2049]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2023/वैशाख 19, 1945

No. 2049]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2023/ VAISAKHA 19, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2023

का.आ. 2139(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में सिपकांट इण्डस्ट्रियल एरिया, श्रीपेरुम्बदूर तालुक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र कार्यकलापों सहित इलैक्ट्रानिक्स/दूरसंचार हार्डवेयर एवं सहायक सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था: -

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(i)	का.आ. 2141(अ)	22.12.2006	189.771	-	189.771
(ii)	का.आ. 1308(अ)	31.07.2007	41.369	-	231.140
(iii)	का.आ. 677(अ)	02.03.2015	-	11.832	219.308
(iv)	का.आ. 1219(अ)	17.03.2016	-	23.75	195.558
(v)	का.आ. 2343(अ)	01.06.2018	-	16.336	179.222
(vi)	का.आ. 4779(अ)	05.09.2018	-	28.338	150.884
(vii)	का.आ. 6064(अ)	03.12.2018	-	3.963	146.921
(viii)	का.आ. 1584(अ)	09.04.2019	-	13.286	133.635
(ix)	का. आ. 402(अ)	22.01.2021	-	19.570	114.065
(x)	का. आ.1720(अ)	08.04.2022	-	16.28	97.785

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 20.36 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 9942/एमआईई.2/2017-5, दिनांक 19.03.2020 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 20.36 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। प्रस्तावित अनधिसूचना के बाद, भूमि का उपयोग मैसर्स कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेल मंत्रालय का एक नवरत्न उपक्रम) द्वारा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया प्रारूप के तहत किया जाएगा;

और यतः, अनुमोदन बोर्ड ने उक्त प्रस्ताव को इस अधीन मंजूरी दी है कि विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 7(2) और वाणिज्य विभाग के निर्देश संख्या 27 दिनांक 18.10.2009 के अनुसार डेवलपर द्वारा एसईजेड की संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए, अनधिसूचना के बाद कॉनकॉर से एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जायेगा;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 20.36 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 77.425 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र हेतु नीचे तालिका में दिए गए एसएफ संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्: -

#### तालिका

क्रम संख्या	गाँव का नाम	एसएफ सं.	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	सिरुमंगाडु	1 भाग	1.502
2.		2 भाग	0.303
3.		6 भाग	0.257
4.		8 भाग	1.692
5.		9 भाग	0.685

6.		10 भाग	1.819
7.		11	1.730
8.		12	1.020
9.		13 भाग	0.139
10.		135 भाग	0.119
11.	मम्बकूम	214 भाग	2.595
12.		215 भाग	0.815
13.		221 भाग	0.283
14.		223 भाग	1.619
15.		224 भाग	2.248
16.		225 भाग	1.728
17.		226 भाग	1.806
कुल			20.360
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल			77.425

[फा. सं. एफ. 2/146/2006-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(SEZ DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2023

**S.O. 2139(E).**—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Electronics/Telecom Hardware and Support Services, including Trading and Logistics activities at SIPCOT, Industrial Area, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table: -

Sl. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in Hectares)	De-Notified Area (in Hectares)	Total Area (in Hectares)
(i)	S.O. 2141 (E)	22.12.2006	189.771	-	189.771
(ii)	S.O. 1308 (E)	31.07.2007	41.369	-	231.140
(iii)	S.O. 677 (E)	02.03.2015	-	11.832	219.308
(iv)	S.O. 1219 (E)	17.03.2016	-	23.75	195.558
(v)	S.O. 2343 (E)	01.06.2018	-	16.336	179.222
(vi)	S.O. 4779 (E)	05.09.2018	-	28.338	150.884
(vii)	S.O. 6064 (E)	03.12.2018	-	3.963	146.921
(viii)	S.O. 1584 (E)	09.04.2019	-	13.286	133.635
(ix)	S.O. 402 (E)	22.01.2021	-	19.570	114.065
(x)	S.O. 1720 (E)	08.04.2022	-	16.28	97.785

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 20.36 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 9942/MIE.2/2027-5 dated 19.03.2020;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 20.36 hectares of the Special Economic Zone. Further, after the proposed de-notification, the land will be utilised under Domestic Tariff Area format by M/s. Container Corporation of India Ltd. (a Navaratna Undertaking of Ministry of Railways);

NOW, WHEREAS, the Board of Approval approved the proposal subject to the contiguity of the SEZ being maintained by the Developer in terms of rule 7(2) of the SEZ Rules, 2006 and Department of Commerce's Instruction No. 27 dated 18.10.2009, by getting constructed a Foot Over Bridge for ensuring Contiguity of SEZ Land, by CONCOR, after de-notification;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 20.36 hectares at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu, Industrial Area, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu; thereby making resultant notified area as 77.425 hectares. The SF numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

**TABLE**

Sl. No.	Name of Village	SF No.	Total area in Hectares
1.	Sirumangadu	1 pt	1.502
2.		2 pt	0.303
3.		6 pt	0.257
4.		8 pt	1.692
5.		9 pt	0.685
6.		10 pt	1.819
7.		11	1.730
8.		12	1.020
9.		13 pt	0.139
10.		135 pt	0.119
11.	Mambakkam	214 pt	2.595
12.		215 pt	0.815
13.		221 pt	0.283
14.		223 pt	1.619
15.		224 pt	2.248
16.		225 pt	1.728
17.		226 pt	1.806
	<b>Total</b>		<b>20.36</b>
	<b>Grand total area of SEZ after above deletion</b>		<b>77.425</b>

[F. No. F. 2/146/2006-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.